

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

कार्मिक का विवरण:-

क्र. स.	कार्मिक का नाम मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	SHAMEEM BANO PET (III Gr.)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BUBANI AJMER	21-01-1977	Hoofddrop Netherlands दिनांक 10/05/2023 से 20/06/2023 (कुल 42 दिवस)
2	SIMARJEET KAUR PET (III Gr.)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NATHWANA HANUMANGARH	06-09-1969	BRADFORD (ONTARIO), CANADA दिनांक 17/05/2023 से 15/07/2023 (कुल 60 दिवस)
3	TANSUKH RAM Senior Teacher (II Gr.) (Hindi)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SATAVADIYA AJMER	03-01-1986	DUBAI दिनांक 20/02/2023 से 23/02/2023 (कुल 04 दिवस)
4	NEELAM SHARMA Teacher (III Gr.) Level 1	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL GAJSINGHPUR GANGANAGAR	16-10-1974	CANADA, SPARWOOD BC दिनांक 20/03/2023 से 19/06/2023 (कुल 92 दिवस)
5	ABDUL LATEEF Senior Teacher (II Gr.) (Urdu)	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SOORWAL S.MADHOPUR	08-11-1965	SAUDI ARAB दिनांक 12/02/2023 से 08/03/2023 (कुल 25 दिवस)
6	MANISH CHOUDHARY PET (III Gr.)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DADIYA SIKAR	13-02-1978	Berlin, Germany दिनांक 04/04/2023 से 13/05/2023 (कुल 40 दिवस)

शर्तें :-

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
 - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/2022/वो-4/ 537 दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/चुरू संभाग।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, अजमेर/हनुमानगढ़/गंगानगर/सवाई माधोपुर/सीकर।
- 3- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
- 4- संबंधित संस्थाप्रधान को भेजकर लेख है कि शिक्षण व्यवस्था बाधित न हो इसकी विद्यालय स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- 5- संबंधित कार्मिक।
- 6- रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

16 FEB 2023